

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2015/वैशाख 30, 1937

No. 323]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2015/VAISAKHA 30, 1937

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2015

**सा.का.नि. 407(अ).**—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 का और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2015 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 के नियम 3 के खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ग) ‘प्राधिकृत अधिकारी’ से इन नियमों के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए महानियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो द्वारा लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत भारतीय खान ब्यूरो का कोई अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;”।

[फा. सं. 16/11/2015-एम. VI]

आर श्रीधरन, अपर सचिव

**नोट:** खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 को भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 1023 तारीख 24 अक्टूबर, 1988 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 75(अ) तारीख 9 फरवरी, 2011 के द्वारा संशोधित किया गया।

**MINISTRY OF MINES****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th May, 2015

**G.S.R. 407(E).**—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Conservation and Development Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Mineral Conservation and Development (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Conservation and Development Rules, 1988, in rule 3, for clause (c), the following shall be substituted, namely:—

“(c) "authorised officer" means any officer of the Indian Bureau of Mines duly authorised in writing by the Controller General, Indian Bureau of Mines or an officer authorised in this behalf by the State Government to perform the functions under these rules;”.

[F. No. 16/11/2015-M.VI]

R. SRIDHARAN, Addl. Secy.

**Note :** The Mineral Conservation and Development Rules, 1988 were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 1023(E) dated the 24th October, 1988 and lastly amended *vide* number G.S.R. 75(E), dated the 9th February, 2011.